मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./2748/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 22.03.10

प्रति,

1. कमिश्नर, ... (समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले

विषय :– म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ अमले को मासिक संविदा पारिश्रमिक के भुगतान विषयक।

संदर्भ :– परिषद् मुख्यालय का पत्र क्र. 9407 दिनांक 13.10.08, पत्र क्र. 4721 दिनांक 15.6.09

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में नियुक्त अमले को जिला/जनपद पंचायत द्वारा मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में कुछ जिलों से शिकायतें परिषद् मुख्यालय को प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिषद् मुख्यालय द्वारा द्वितीय चरण के विज्ञापन में विभिन्न पद जैसे–सहायक संचालक कृषि, लेखाधिकारी, परियोजना अधिकारी, आडिटर, सहायक यंत्री, उपयंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के लिए मूल वेतन में मंहगाई भत्ता जोड़कर मासिक संविदा पारिश्रमिक की विज्ञप्ति के अनुसार भुगतान किये जाने का उल्लेख किया था।

उल्लेखनीय है कि अमले को मासिक संविदा पारिश्रमिक का भुगतान राज्य स्तरीय सशक्त समिति के अनुमोदन अनुसार किया जाता है। उपरोक्त पदों के लिये सशक्त समिति ने पारिश्रमिक गणना हेतु वेतनमान के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता को जोड़ कर भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया है। जिलों में संविदा पारिश्रमिक की गणना में भ्रांतियाँ दूर करने हेतु विभिन्न पदों के देय मासिक संविदा राशि की गणना का विवरण संलग्न है। कृपया तदनुसार मासिक संविदा राशि का भुगतान करने का कष्ट करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पदों के लिये वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, वरन् मंहगाई भत्ता की गणना करने के लिये वेतनमान दर्शाये गये हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधितों को वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी। उपर्युक्त कार्यवाही से संबंधित अमले का राज्य शासन पर निश्चित वेतनमान अथवा स्थायीकरण संबंधित दावा मान्य नहीं होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(ए0के0सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

Letter-p1

संविदा पारिश्रमिक की गणना हेतु तालिका

क्र.	पदनाम	समकक्ष वेतनमान	वेतन	मंहगाई वेतन	योग	मंहगाई भत्ता (राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत)	कुल राशि
संभाग स्तर							
1	प्रबंधक	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
2	सहायक ग्रेड–3	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
जिला स्तर							
1	परियोजना अधिकारी (तकनीकी)	10000-15200	10000	5000	15000	47%	22050
2	परियोजना अधिकारी (प्रशा0)	6500-10500	6500	3250	9750	47%	14333
3	लेखाधिकारी	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
4	मीडिया अधिकारी	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
5	सहायक संचालक कृषि/ उद्यानिकी	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
6	सहायक यंत्री	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
7	आडिटर	5000-8000	5000	2500	7500	47%	11025
8	लेखापाल (जिला स्तर)	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
9	सीनियर डाटा मैनेजर	4500-7000	4500	2250	6750	47%	9923
10	मानिटरिंग एवं मूल्यांकन समन्वयक	4500-7000	4500	2250	6750	47%	9923
11	डाटा एन्ट्री आपरटर	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
जनपद स्तर							
1	सहायक यंत्री	8000-13500	8000	4000	12000	47%	17640
2	प्रबंधक	5500-9000	5500	2750	8250	47%	12128
3	अनि0कार्यक्रम अधिकारी	5500-9000	5500	2750	8250	47%	12128
4	सहायक लेखाधिकारी	5000-8000	5000	2500	7500	47%	11025
5	उपयंत्री	5000-8000	5000	2500	7500	47%	11025
6	सहायक मानचित्रकार	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
7	लेखापाल (जनपद स्तर)	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
8	सहायक ग्रेड–2 केशियर	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820
9	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000-6000	4000	2000	6000	47%	8820